कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर

समाहरणालय, समस्तीपुर।

अल्पकालीन निविदा सूचना।

वर्ष 2017 में प्राकृतिक आपदा (बाढ़/सुखाड़) की स्थिति में पशु चारा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूखा पशु चारा के क्रय हेतु इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता से दिनांक 2/8/17 को 5:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदायें जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यालय, समस्तीपुर में प्राप्त की जाएगी। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 3/8/17 को 3:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष मेंजिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।

सामग्री का नाम–सूखापशुचारा (गेहूँ भूसा)

शर्त्तें

(1) निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शील्ड लिफाफा में जमा करना होगा।

(2) तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदाओं का हीं वित्तीय निविदा खोला जायगा।

(3) तकनीकी निविदा के अन्तर्गत दिये जानेवाले कागजातों का विवरणः–

I. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति देना होगा ।

II. अग्रधन के रूप में निविदादाता को 5,000 (पाँच हजार) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से देय होगा।

III. निविदादाता को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका फार्म किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है ।

(4) वित्तीय निविदा के अन्तर्गत दिये जानेवाले कागजातों का विवरणः–

I. वित्तीय निविदा में सूखा पशुचारा (गेहुँ भूसा) का प्रति क्विंटल दर (सभी कर सहित) एवं परिवहन दर सहित अंकित कर देना होगा ।

II. वित्तीय निविदा में अंकित मुल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) सूखा पशुचारा (गेहूँ भूसा) की आपूर्ति करना होगा । इसके लिये अलग से परिवहन व्यय देय नही होगा ।

(5) भुगतान के समय आयकर एवं वाणिज्य कर की कटौती नियमानुसार की जायगी ।

(6)सफल निविदादाता को उपर्युक्त शर्तो के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा । एकरारनामा के अन्य शर्तो के साथ यह शर्त भी उल्लिखित होगी कि वाढ़/सूखाड़ की स्थिति में आपूर्ति गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार कर देगें एवं आवश्यकतानुसार समस्तीपुर जिला के वाढ़/सुखाड़ प्रभावित अंचलों/शिविरों में पहुँचा देगें । इस हेतु अलग से आपूर्तिकर्ता को परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।

(7)सफल निविदादाता को कार्यादेश के एक सप्ताह के अन्दर सूखा पशुचारा (गेहूँ भूसा) की आपूर्ति करना होगा तथा निदेशित स्थान पर पहुँचाना होगा ।

(8) स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जामानत राशि वापस कर दीजायेगी ।

(9) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द/स्थगित करने का अधिकार होगा ।

(10) निविदा सूचना को जिला के बेवसाईट samastipur.bih.nic.inपर भी देखा जा सकता है ।

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।
17/7/17